

5

डिक्री बमुकदमें ईब्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-88/2016

भानूप्रताप सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. गिरधारी पुत्र रामसिंह } जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील
2. मोहन कंवर पत्नी जयपाल सिंह } टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री वकील वादी करनैलसिंह मिन जामिन मुदई पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं० 1 गिरधारी के नाम से दर्ज चकन० 1 एचएमएच पटवार हल्का शेरकां के प०न० 174/266 मु० 2 किलानं० 1 प०न० 172/266 मु० 4 किलानं० 19,20,21 प०न० 172/267 मु० 5 किलानं० 1,10,11, कुल 1.771 है० मय गै०मु० नाली द्वितीय कृषि भूमि तथा प्रतिवादीया सं० 2 मोहन कंवर के नाम से दर्ज चक 1 एचएमएच के पटवार हल्का शेरकां के प०न० 172/266 मु० 4 किला नं० 16, 17,18,23,24,25, प०न० 172/267 मु० 5 किलानं० 2,3,4,5,6, 7,8,9,12, 13,14, 15,20 कुल 4.807 है० मय गै०मु० नाली द्वितीय कृषि भूमि का वादी भानूप्रताप सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड चक 1 एचएमएच में से प्रतिवादी सं० 1 गिरधारी व प्रतिवादीया सं० 2 मोहनकंवर का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार वादी का नाम राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30/12/19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी